रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 380] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 27, 2012/श्रावण 5, 1934
No. 380] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 27, 2012/SARAVAN 5, 1934

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 593(अ).— केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज रियायत नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज रियायत (संशोधन) नियम , 2012 है ।
   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 (जिन्हें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) , के नियम 2 में, खण्ड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

(ii क) "अवैध खनन" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित किसी व्यक्ति या किसी कंपनी द्वारा , किसी क्षेत्र में, यथास्थिति सर्वेक्षण परमिट अथवा किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा, खनन पट्टा प्राप्त किए बिना, कोई सर्वेक्षण अथवा पूर्वेक्षण अथवा खनन प्रचालन करना ।

स्पष्टीकरण - इस खण्ड के प्रयोजन के लिए –

(क) खनन पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर अधिनियम की धारा 23 ग के अधीन बनाए गए नियमों से भिन्न, किसी नियम का उल्लंघन अवैध खनन में सम्मिलित नहीं होगा ;

(ख) यथास्थिति सर्वेक्षण परमिट अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा खनन पट्टे के अधीन स्वीकृत किसी भी क्षेत्र को, अवैध खनन की सीमा का अवधारण करते समय, ऐसे परमिट अथवा अनुज्ञप्ति अथवा पट्टा धारक द्वारा प्राप्त वैध प्राधिकार वाले क्षेत्र के रूप में समझा जाएगा ।

3. उक्त नियम के, नियम 26 के उपनियम (3) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" (4) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां नियम 24 क के अधीन खनन पट्टे के नवीकरण के लिए किसी आवेदक को अवैध खनन का दोषसिद्ध है, और किसी भी न्यायालय में इस प्रकार दोषसिद्ध के विरूद्ध लम्बित अपीलों में इस प्रकार के दोषसिद्ध के आदेश की प्रवर्तन के निलम्बन के लिए किसी भी न्यायालय ने कोई अंतरिम आदेश न दिए हो, वहां राज्य सरकार, ऐसे आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् और कारणों को अभिलिखित करने और आवेदक को संसूचित करके खनन पट्टे के नवीकरण से इंकार कर सकेगी । '

4. 'उक्त नियम के नियम 27 के उपनियम (4) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अतः स्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"(4 क) यदि खनन पट्टे के पट्टाधारी अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अनुज्ञप्ति धारक को अवैध खनन का दोषसिद्ध ठहराया जाता है और किसी भी न्यायालय में इस प्रकार दोषसिद्ध के विरूद्ध लंबित अपीलों में इस प्रकार के दोषसिद्ध के आदेश प्रवर्तन के निलम्बन के लिए किसी भी न्यायालय ने कोई अंतरित आदेश पारित न किया हो तो राज्य सरकार अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन की जाने वाली कार्यवाईयों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के ऐसे पट्टाधारक अथवा अनुज्ञप्तिधारक को सुनवाई का अवसर देकर और पट्टाधारक अथवा अनुज्ञप्तिधारक को कारणों को लेखबद्ध तथा उसे संसूचित करते हुए यथास्थिति ऐसे खनन पट्टे को रद्द कर सकती है अथवा ऐसे पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति को निरस्त कर सकती है और पूरी अथवा आंशिक प्रतिभूति जमा को सम पहृत कर सकेगी । "

[फा. सं. 16/159/2011-एम.VI]

जी. श्रीनिवास, संयुक्त सचिव

नोटः- खनिज रियायत नियम, राजपत्र में, सा.का.नि. सं. 1338 तारीख 26 नवम्बर, 1960 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 883 (अ) तारीख 10 दिसम्बर, 2009 द्वारा संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2012

G.S.R. 593(E).— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely: -

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Amendment) Rules, 2012.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely: -

   '(ii a) "illegal mining" means any reconnaissance or prospecting or mining operation undertaken by any person or a company in any area without holding a reconnaissance permit or a prospecting licence or, as the case may be, a mining lease, as required under sub-section (1) of section 4 of the Act.

   Explanation. – For the purpose of this clause, -

   (a) violation of any rules, other than the rules made under section 23C of the Act, within the mining lease area by a holder of a mining lease shall not include illegal mining;

   (b) any area granted under a reconnaissance permit or a prospecting licence or a mining lease, as the case may be, shall be considered as an area held with lawful authority by the holder of such permit or licence or a lease, while determining the extent of illegal mining.'.

3. In the said rules, in rule 26 after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

   "(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), where an applicant for renewal of mining lease under rule 24A is convicted of illegal mining, and there are no interim orders of any court of law suspending the operation of the order of such conviction in appeals pending against such conviction in any court of law, the State Government may, after giving such applicant an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing and communicated to the applicant, refuse to renew such mining lease.".

4. In the said rules, in rule 27 after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(4A) If the lessee holding a mining lease or a licencee holding a prospecting licence, is convicted of illegal mining and there are no interim orders of any court of law suspending the operation of the order of such conviction in appeals pending against such conviction in any court of law, the State Government may, without prejudice to any other proceedings that may be taken under the Act or the rules framed thereunder, after giving such lessee or licencee an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing and communicated to the lessee or licencee, determine such mining lease or, as the case may be, cancel such prospecting licence and forfeit whole or part of the security deposit.".

[F. No. 16/159/2011-M. VI]

G. SRINIVAS, Jt. Secy.

Note:—The Mineral Concession Rules were published in the Official Gazette, vide G.S.R. No. 1398 dated 26th November, 1960 and lastly amended vide notification no. G.S.R. 883(E), dated the 10th December, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.